कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

बुधवार, 30 माघ, शक संवत् 1946
(19 फरवरी, 2025 ई0)

खण्ड-528
अंक-02

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

तदुपरान्त श्री कमाल अख्तर ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि आश्वासन समिति के सभापति का पद विपक्ष के पास रहने की परम्परा रही है, किन्तु पूर्व में विपक्ष में सम्मिलित सम्प्रति सत्ता पक्ष के घटक दल के सदस्य आश्वासन समिति के सभापति हैं। उन्होंने आश्वासन समिति का सभापति विपक्ष को देने का पीठ से अनुरोध किया।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि परम्परागत रूप से भले रहा हो, लेकिन नियमावली में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। परम्पराएं परिवर्तित होती रहती हैं।

तदुपरान्त उत्तर प्रदेश विधान सभा के निम्नलिखित भूतपूर्व सदस्यों एवं विशिष्ट महानुभाव के निधन पर सदन की ओर से शोक संवदेना व्यक्त की गयी :-

1-श्री अमरजीत सिंह 'जनसेवक'

2-श्री अजय प्रताप सिंह ''लल्ला भइया''

3-डा0 मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत सरकार

श्री अध्यक्ष ने सदन की भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करते हुए कहा कि सदन में वयक्त की गयी संवदेनाओं को दिवंगत आत्माओं के शोक-संतप्त परिवारों तक पहुँचा दिया जाएगा।

दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए।

आज दिनांक 19 फरवरी, 2025 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 63 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई :-

क्र0-सं0	नाम	विषय
1	डा0 रागिनी	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछली शहर के ग्राम सभा उगापुर व बरौली में काम्पोजिट विद्यालय में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में।
2	श्री स्वामी ओउमवेश	जनपद बिजनौर के नूरपुर विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
3	श्री रमेश सिंह	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में पट्टी नरेन्द्रपुर को नगर पंचायत बनाए जाने हेतु।
4	श्री अशरफ अली खान	जनपद शामली में विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम-धनैना में उपस्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में।
5	डा0 पल्लवी पटेल	जनपद कौशाम्बी के सिराथु में ग्राम महाजितपुर में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में।
6	श्री समरपाल सिंह	जनपद अमरोहा के ग्राम ननहेड़ा में जलभराव के सम्बन्ध में।
7	श्री अतुल प्रधान	जनपद मेरठ के सरधना में सड़क चौड़ीकरण एवं मरम्मत के सम्बन्ध में।
8	श्री जगदीश नारायण	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में कतिपय मार्ग पर नाली के निर्माण के सम्बन्ध में।
9	श्री विवेकानन्द पाण्डेय	जनपद कुशीनगर के वि0ख0 खड्डा में कतिपय सड़क के नव निर्माण के सम्बन्ध में।
10	श्रीमती पूनम संखवार	जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद में कतिपय सड़क बनवाए जाने के सम्बन्ध में।
11	श्रीमती सरोज सोनकर	जनपद बहराइच के ग्राम पंचायत विश्वनाथ गांव में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
12	श्री विनोद शंकर अवस्थी	जनपद लखीमपुर के धौरहरा में कतिपय सड़क के डामरीकरण के सम्बन्ध में।
13	श्री पंकज पटेल	जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मछलीशहर में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
14	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	जनपद फतेहपुर के जहानाबाद में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण न होने के सम्बन्ध में।
15	श्री मुकेश चौधरी	जनपद सहारनपुर के नकुड़ में विद्युत आपूर्ति पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में।
16	डा0 वीरेन्द्र यादव	जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जमानियॉ में कतिपय मार्ग के इंटरलॉकिंग कार्य के सम्बन्ध में।
17	श्री मौहम्मद फहीम इरफान	पंचायत सहायकों के मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में।
18	श्री अनिल सिंह	जनपद उन्नाव के पुरवा में बस स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में।
19	डा0 राजेश्वर सिंह	जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर में मिनी स्टेडियम बनाए जाने के सम्बन्ध में।
20	श्री लक्ष्मी राज सिंह	जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद के अन्तर्गत कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
21	श्री नफीस अहमद	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।
22	श्री रविदास महरोत्रा	गृह विभाग उ0प्र0 में सेवा निवृत्त पुलिस उपाधीक्षक के प्रार्थना-पत्र पर विभाग द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान न किए जाने के सम्बन्ध में।
23	श्री मनोज कुमार पारस	जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना में आयुष अस्पताल की जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में।

आज नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की 03 सूचनाऍ प्राप्त हुईं, जो अग्राहय हुईं।

दिनांक 18-02-2025 को माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात् वन्दे मातरम् प्रारम्भ होने पर 'नही' लॉबी में कतिपय सदस्यों द्वारा अपेक्षित व्यवहार न करके अपनी सीट पर ही बैठे रहने से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य के प्रश्न पर श्री राकेश प्रताप सिंह ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही के प्रारम्भ होने पर राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम्' की धुन बजते समय सदन की 'नही' लॉबी में विपक्ष के कतिपय सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय गीत के प्रति उचित सम्मान न दिखाते हुए सोफे पर बैठे रहे, जो उचित नहीं है। उन्होंने संज्ञान में लाए जा रहे प्रकरण पर सी0सी0टी0वी0 फुटेज के आधार पर जाँच कराकर समुचित कारवाई किये जाने का पीठ से अनुरोध किया।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि ऐसी घटना निंदनीय है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान की रचना की और राष्ट्रीय-गीत तथा राष्ट्र-गान को मान्यता प्रदान की। इनका सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमारा व्यवहार, हमारी पृष्ठभूमि एवं संस्कारों को प्रदर्शित करता है। विपक्ष द्वारा भारतीय संविधान का प्रदर्शन करके इसकी दुहाई तो देते है, लेकिन उसके आदर्शों का अनुपालन नहीं करते। उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए दण्डित किये जाने का अनुरोध किया।

इस पर श्री अध्यक्ष ने संज्ञान में लाए गये प्रकरण पर अपनी व्यवस्था को सुरक्षित रखते हुए कहा कि राष्ट्रीय-गीत और राष्ट्रीय-गान का सम्मान करना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। दोनों लॉबियों की सी0सी0टी0वी0 फुटेज की दिखवाकर सम्बन्धित सदस्यों से बातचीत की जाएगी।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

तदुपरान्त श्री श्रीकान्त शर्मा, सदस्य, नियम समिति ने नियम समिति (2024-25) का प्रथम प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में सदन की कार्यवाही के समय सदस्यों को अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुन्देली एवं अंग्रेजी में अपना सम्बोधन किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-282 में संशोधन से सम्बन्धित है, अपनी स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया।

इस पर नेता विरोधी दल ने दिनांक 19-02-2025 के नेता सदन के वक्तव्य में प्रयुक्त कठमुल्ला शब्द पर आपत्ति व्यक्त करते हुए सदन में अंग्रेजी के प्रयोग के लिए अपना विरोध दर्ज किया।

संसदीय कार्य मंत्री, श्री मनोज कुमार पाण्डेय (अवधी में), श्रीमती केतकी सिंह (भोजपुरी में) एवं श्री नफीस अहमद ने भी नियमावली संशोधन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर अपने विचार व्यक्त किये।

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जो कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य हुईं।

जनपद प्रयागराज में आयोजित महाकुम्भ में हुई दुर्घटनाओं एवं अव्यवस्थाओं की जांच कराने विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए डा0 राकेश कुमार वर्मा ने दुर्घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने मौतों के सही आंकड़े नहीं बताए और पीड़ितों के साथ अन्याय किया। सरकार 2024 के लोक सभा चुनाव के परिणाम से डरी हुई थी, इसलिए उसने कुम्भ को अपनी महिमा मण्डन का अवसर बना लिया। सरकार पर वीआईपी संस्कृति को बढ़ावा देने और कुप्रबन्धन का आरोप लगाया। सरकार ने भगदड़ के वीडियो फुटेज जारी नहीं किए और संतों को गुमराह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया और उन्हे कुम्भ में आने से रोका गया तथा बड़े उद्योगपतियों और कम्पनियों को मुनाफाखोरी करने की छूट दी। स्थानीय प्रयागराज वासियों की सराहना की, जिन्होंने श्रद्धालुओं की मदद की। सरकार को मृतकों की सही संख्या निकालने के लिए गुमशुदगी दर्ज करानी चाहिए। कुम्भ में सरकार की विफलता के कारण कई श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। उन्होंने विषय को अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग की।

डा0 संग्राम यादव ने इस पर बल दिया।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा भी प्रयागराज में आयोजित महाकुम्भ में व्याप्त अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में अपनी नियम-56 की सूचना की ग्राह्यता के ऊपर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महाकुम्भ सनातन परम्परा का गौरवशाली पर्व है। महाकुम्भ सदियों से आयोजित होता आ रहा है, जो हमारी संस्कृति का सम्मान है। सरकार ने महाकुम्भ के आयोजन पर भारी भरकम बजट खर्च किया और इंफ्रास्ट्रकचर पर भी काम किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार को यह जानकारी थी कि भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, फिर भी व्यवस्था में त्रुटि रह गई। उन्होंने प्रश्न उठाया कि संगम नोज पर लोगों को सोने की अनुमति कैसे दी गई और उन्हें वहां से हटाया क्यों नहीं गया। इस बार होल्डिंग एरिया भी नहीं बनाए गए थे, जिससे भीड़ को नियंत्रित करने में मुश्किल हुई। उनके अनुसार इस घटना में कई लोगो की जानें गईं, लेकिन अभी तक स्पष्ट आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। अनुभवहीनता के कारण

एक प्राइवेट कम्पनी को इतने बड़े आयोजन का जिम्मा दिया गया, जो सबसे बड़ी कमी थी। उन्होने मांग की कि सदन में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जानी चाहिए और अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच होनी चाहिए।

इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 29 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती कृष्णा पासवान पीठासीन हुईं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा प्रयागराज में आयोजित महाकुम्भ पर अराजक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित किये जा रहे झूठ एवं भ्रम से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में अपनी नियम-56 की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त हुए कहा कि कुम्भ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसका उल्लेख शास्त्रों में भी है। 144 वर्षों बाद यह संयोग आया कि प्रयागराज में महाकुम्भ आयोजित हुआ। सोशल मीडिया पर कुम्भ को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों और अफवाहों के सम्बन्ध मे उदाहरणों के साथ बताया कि कैसे गलत वीडियो और खबरें कुम्भ से जोड़कर फैलाई गईं। उन्होंने कहा कि इन अफवाहों का उद्देश्य जनता के बीच भय और डर का माहौल बनाकर कुम्भ को बदनाम करना था। कुम्भ 13 जनवरी, 2025 से शुरू हुआ और यह अब तक का सबसे सफल और बड़ा आयोजन है। भारत में रहने वाले 100 करोड़ लोगों को इस बात का गर्व है। सनातन के ध्वज वाहक रहे महाराजा विक्रमादित्य और महाराजा हर्षवर्धन के समय में भी महाकुम्भ हुआ था। केन्द्र में नरेन्द्र मोदी जी और राज्य में योगी आदित्यनाथ जी जैसे भारतीय संस्कृति के संवाहक इस महाकुम्भ का दायित्व सम्भाल रहे हैं। सोशल मीडिया में जिनके द्वारा महाकुम्भ प्रयागराज के सम्बन्ध में जो अफवाह फेलाई गई उन पर कठोर कार्यवाही की जाये।

इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 39 मिनट पर मा0 अध्यक्ष पीठासीन हुए।

इस पर मुख्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रयागराज में आयोजित महाकुम्भ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है और प्रयागराज कुम्भ में 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया, और इसे दिव्य और भव्य बताया। इससे भारत की एकता का संदेश जाता है। विपक्ष हमेशा से कुभ का विरोध करता रहा है तथा सनातन धर्म के आयोजनों को अनावश्यक बताता है। विपक्ष सनातन धर्म के बारे में गलत जानकारी फैला रहा है। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। महाकुम्भ में बिना किसी भेदभाव के हर जाति और धर्म के लोगों ने भाग लिया। 2013 के कुभ की तुलना में वर्तमान सरकार के समय आयोजित कुम्भ में बेहतर व्यवस्था होने का दावा करते हुए कहा कि 2025 के महाकुभ के लिए बेहतर इंफ्रास्टक्चर बनाया गया और श्रद्धालुओं को बेहतर

सुविधाएं दी गयी। 2013 व 2025 के कुम्भ की तुलना अनेक सरकारी आंकड़े देकर की तथा 2025 के कुम्भ को बेहतर बताया। केन्द्र और राज्य सरकार ने कुम्भ के आयोजन के लिए साढ़े सात हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं। डिजिटल उपकरणों के प्रयोग से मेले में कई बिछड़े हुए लोग अपने परिवारों से मिल पाए। मौनी अमावस्या के दिन कुम्भ में भगदड़ में हुई मौतों पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि सरकार ने भगदड़ के पीड़ितों को हर सम्भव मदद पहुंचाई। रेलवे ने कुम्भ के लिए विशेष ट्रेनें चलाई और हवाई अड्डे का विस्तार किया तथा अनेकों सटल बसे प्रयागराज में चलाई जा रही है। हजारों लाखों की संख्या में पुलिस, प्रशासन व अन्य लोगों द्वारा महाकुम्भ को सफल बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार कुम्भ को सफल बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है।

तदुपरान्त् सूचना अग्राह्य हुई।

जनपद मुरादाबाद के नगर निगम क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र और नगर पंचायतों में निवास करने वाले निवासियों से 01-04-2024 से अधिक कर आरोपण करके जबरन वसूली किये जाने की जांच विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रसातव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करे हुए श्री कमाल अख्तर ने कहा कि नगर पालिकाएं, पंचायतें, निगम ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं, जिनके अध्यक्ष और सदस्य जनता से निर्वाचित होते हैं और जनता को मूलभूत सुविधाएं देना इनकी जिम्मेदारी होती है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों को कम करके सरकार द्वारा जी0आई0 सर्वे के आधार पर शहरों में भारी कर लगाने के उद्देश्य से स्वकर प्रणाली के तहत नया गजट किया गया है, जो जनता पर बहुत भारी पड़ रहा है। इससे अकेले नगर निगम, मुरादाबाद के राजस्व में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार की वृद्धि गरीब जनता के लिए वहनीय नहीं है। साथ ही शहर से गुजर रही पानी की पाइप लाइन के निर्धारित दायरे में आने वाले भवनों के स्वामियों को कनेक्शन न लेने पर भी कर के दायरे में लाया जा रहा है। उन्होंने नगर निकायों के चेयरमैन के अधिकारों को बहाल करने व प्रधानमंत्री आवास के कर को माफ कराने की पीठ से मांग की।

इस पर नगर विकास मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि अवस्थापना विकास का कार्य बिना धन के सम्भव नहीं है। 15वें वित्त आयोग में राज्यों का पैसा अवमुक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कर निर्धारण की व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु लगायी गयी आवश्यक शर्त के अनुक्रम में 2016 से नियत एनुवल रेंटल वैल्यु को आधार मान करके कर निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। जी0आई0 सर्वे, जो काफी हद तक साइंटिफिक ढंग से किया गया है, में एरिया बढ़ने अथवा नई प्रापर्टी टैक्स रेंज में आने से टैक्स बढ़ा हुआ दिखायी दे रहा है। मुरादाबाद नगर निगम की राजस्व वृद्धि जी0आई0 द्वारा निर्धारित कर प्रणाली का प्रतिफल नहीं

है, बल्कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से एकमुश्त 30 करोड़ मिलने की वजह से है। जहाँ तक 100 मीटर के दायरे में आने वाले भवनों से जल कर की वसूली का विषय है, यह जल कर का पुराना अधिनियम है और प्रचलन में भी है। इसमें थोड़ा विरोधाभास है। इस पर अवश्य विचार कर लिया जायेगा।

इसी मध्य 03 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती कृष्णा पासवान पीठासीन हुईं।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

तदुपरान्त डा0 नीरज बोरा ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

''यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 18 फरवरी, 2025 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

श्री शिवपाल सिंह यादव ने धन्यवाद प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो पढ़ा हुआ माना गया तथा अन्य सदस्यों द्वारा दिये गये संशोधन प्रस्तुत किये हुये माने गये :-

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे बलात्कार/डकैती/चोरी/लूट/हत्या/जातीय हिंसा आदि को रोकने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

3-प्रदेश में बढ़ती महंगाई की रोकथाम करने के सम्बन्ध में,

4-किसानों को खाद और बीज क्रय में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में,

5-किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

6-किसानों के लिये सिंचाई मुफ्त करने के सम्बन्ध में,

7-किसानों की कृषक उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

8–गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये व दलाली पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

9–गन्ना मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान करने के सम्बन्ध में,

10–धान/गेहूं का अवशेष मूल्य भुगतान करने के सम्बन्ध में,

11–पशुधन विकास हेतु छोटे किसानों को उन्नत किस्म के दुधारू पशु क्रय करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलबध कराने के सम्बन्ध में,

12–कुक्कुट नीति के सम्बन्ध में,

13–छुट्टा पशुओं से फसल की सुरक्षा-व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

14–सिंचाई हेतु किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

15–नहरों में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

16–निरन्तर बढ़ रहे साइबर अपराध की रोकथाम के सम्बन्ध में,

17–बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

18–प्रतिभावान साहित्यकारों, कवियों, खिलाड़ियों, उद्यमियों, किसानों, कलाकारों को प्रोसाहित करने के सम्बन्ध में,

19–प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुदृढ़ अध्यापन कार्य हेतु शिक्षकों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

20–निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में,

21–ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत राशनकार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

22–अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के दवाब को दृष्टिगत रखते हुये दवाएं एवं बेड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

23–चिकित्सालयों में जनसंख्या अनुपात में पर्याप्त चिकित्सकों की उपलब्धता के सम्बन्ध में,

24–चिकित्सालयों में रिक्त पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में,

25–महिलाओं के यौन-शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की ठोस कार्य योजना के सम्बन्ध में,

26–महिलाओं की सुरक्षा हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

27–महिलाओं और युवतियों के लिये बेहतर जीवन और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुदृढ़ योजना के सम्बन्ध में,

28–बुनकरों को सस्ती एवं फिक्स दर पर विद्युत दिये जाने, सस्ती दर पर धागा उपलब्ध कराये जाने, पावरलूमों को बीस घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

29–किसानों के धान एवं गेहूं खरीद में हुई अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,

30–प्रदेश में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तावित न करने के सम्बन्ध में,

31–समुचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

32–ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार हेतु ठोस योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

33–नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में,

34–प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या के सम्बन्ध में,

35–सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में,

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के भाषण के मध्य 04 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री रमेश चन्द्र मिश्र,

श्री प्रसन्न कुमार।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा आज रात 08:00 बजे तक चलेगी।

श्री गौरव कुमार के भाषण के मध्य 05:00 बजे अधिष्ठाता डा0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

डा0 राघवेन्द्र शर्मा,

श्री राजेश त्रिपाठी,

श्री समरपाल सिंह,

डा0 डी0 सी0 वर्मा,

श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल,

श्री शफीक अहमद अंसारी,

श्री मौहम्मद फहीम इरफान,

श्री विवेकानन्द पाण्डेय,

श्री विवेक कुमार वर्मा,

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव,

श्री ओ0 पी0 श्रीवास्तव,

श्री रमाशंकर सिंह,

श्री आनन्द यादव,

श्री कैलाश नाथ शुक्ल,

श्री विमलेश पासवान,

श्रीमती इन्द्राणी देवी,

श्री शलभ मणि त्रिपाठी,

श्री बाबूलाल,

डा0 हृदय नारायण सिंह पटेल,

श्री राम फेरन पाण्डेय,

डा0 एम0 पी0 आर्य,

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू,

श्री पूरन प्रकाश,

श्री प्रदीप चौधरी,

श्री मोहम्मद हसन रूमी,

श्री रामरतन कुशवाहा,

श्री मूलचन्द्र सिंह।

श्री जियाउद्दीन रिजवी के भाषण के मध्य 07 बजकर 46 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।

श्री सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी व डा0 आर0 के0 पटेल के भाषण के उपरान्त धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये जारी हुई।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के ग्राम गौराशाहगढ़ नये गांव की तालाब की पुलिया से ब्रह्मचारी के घर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ यादव व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा जनपद की पीलीभीत के बीसलपुर के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवनीश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत ग्राम कादीपुर में अधूरा पड़ा काशीराम आवास योजना के सम्बन्ध में श्री सुनील पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र मिश्रिख के ग्राम लपकहिया के अन्तर्गत सरकारी नलकूप स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरज यादव व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 एम0पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र भदपुरा में ग्राम परतीतपुर से कनाकोर तक शेष मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनुराग सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मीरजापुर के नगर पालिका चुनार नगर में बस अड्डा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती संगीता सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मीरजापुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के रविदास पुरम मलिन बस्ती एवं गुजैनी गांव व बर्रा-3, बर्रा-4 व कतिपय बस्तियों में सीवर एवं वाटर लाईन बिछवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका व्यपगत हुई।

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड हाथवंत के हाथवंत मुस्तफाबाद मुख्य मार्ग से नगला हरि सिंह, लखौआ टीकरी होकर दारापुर रसैनी तक की सड़क पर विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी के गुरसंराय ब्लाक में बड़वार झील से लिफ्ट कैनाल निकाल कर गुरसंराय मुख्य नहर की भस्नेह माइनर में पानी डाले जाने के सम्बन्ध में श्री मूरत पटेल व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती अर्चना पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कन्नौज के विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ के ग्राम गुटैयाखेडा में नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कन्नौज की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के ब्लाक काकोरी के ग्राम करझन से ग्राम गोहरामऊ जाने वाली डामर रोड का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री करन यादव निवासी जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के ब्लाक-जालौन के अन्तर्गत जालौनाबंगरा हाइवे से ग्राम हरदोई गूजर तक सड़क का सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव सिंह गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन की तहसील कोंच के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृज बिहारी पाल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के मसेना मिर्जापुर में नहर की पटरी पर बृजलाल यादव के आटा चक्की से चहोडा घाट रामनगर मुख्य मार्ग तक (दूरी लगभग 400 मीटर) सी0सी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल गौतम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड दातागंज के ग्राम बिहारीपुर, आनन्दापुर आदि ग्रामों को रामगंगा नदी के कटान से रोकने के सम्बन्ध में श्री मुनीन्द्र पाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान के अन्तर्गत ग्राम नौसारा तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत बैकुण्ठपुर-नूनखार मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत अत्यधिक आवागमन वाला मार्ग की व्यय वित्त समिति दिनांक 08-02-2023 की बैठक में अनुमोदनोपरान्त शुक्लगंज से गंगरौली, आदमपुर, ताराडीह सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राम सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम सभा बेहटा में नहर से हरिजन बस्ती तक लगभग 500 मीटर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम सुरपेड़ा से आजमपुर हुसैनपुर तक डामर रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सिंगरामऊ लालगंज-गौरामाफी मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मृगेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में राजेन्द्रनगर वार्ड में नाके से लेकर रकाबगंज चौराहे तक सड़क का निर्माण कार्य एवं पाण्डेय गंज गल्ला मण्डी में अतिक्रमण हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वर्णिम अवस्थी (गोल्डी) व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र 226, ललितपुर क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड तालबेहट की ग्राम पंचायत पूराकलां में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुलायम सिंह लोधी व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा जनपद रामपुर के शाहबाद-रामपुर-स्वार स्टेट हाई-वे रोड के चौड़ीकरण हेतु वन विभाग द्वारा एन0ओ0सी0 निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में श्री दीप गोयल व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रामखिलाड़ी यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र गुन्नौर के अन्तर्गत वर्ष 2005 से 2007 तक 49 ग्रामीण मार्गों का मण्डी परिषद द्वारा मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद सम्भल की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड मऊआइमा के ग्राम पंचायत मानी उमरपुर से ग्राम पंचायत अलावलपुर तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फतेह बहादुर सिंह पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत चकरौत कडरू आटा अकोहरी बांध बन्धा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य

कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखण्ड प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी के विकास खण्ड सिकरारा के अन्तर्गत लुम्बिनी दुद्धी मार्ग ग्राम फूलपुर में अम्बेडकर मूर्ति से रसैना पकड़ी मार्ग तक नवीनीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जमनियां के अन्तर्गत ग्राम सभा देवाटौनपुर प्राथमिक विद्यालय से हरिहर खरवार के डेरा तक आर0सी0सी0 मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव शंकर यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र विकास खण्ड रानीपुर ग्राम सभा महासो में पानी की टंकी से साहू बस्ती होते हुए रामकरण के घर तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राकेश कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैंसड़ी के अन्तर्गत भाथर रेहरा मार्ग पर जीतपुर पकड़ी गांव के पास छिवली नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शोभानाथ व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड पल्हनी में पी0डब्लू0डी0 के अन्तर्गत उकरौड़ा से ककरहटा तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमप्रकाश राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा के कौंधियारा ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत देवरा से पटलेश्वर महादेव तक विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चंचल द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अमेठी के ग्राम एक्का ताजपुर के इन्होंना सम्पर्क मार्ग से पाण्डेय का पुरवा तक लगभग 01 किमी0 सी0सी0

रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरजीत यादव व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के ग्राम पंचायत शुकुरूल्लापुर में निकली हुई क्षतिग्रस्त नहर पटरी का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलोक कुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बस्ती तहसील हर्रैया विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड गौर के परसागना में श्री अनूप सिंह के घर से अनिल चौहान के घर तक शून्य से लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बरदानी मंदिर हरदोई रोड के बगल से अहिरन खेड़ा मोड़ होते हुए नूरानी मस्जिद के पास निर्मल ढाबा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम बहलोलपुर के अनुराग यादव के आवास से तालाब तक पानी निकासी हेतु नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामदीन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के बनकटा मौजा राघवपुर में पिच रोड से अनुसूचित बस्ती होते हुए मिट्टू प्रजापति के घर तक मार्ग के विशेष मरम्मत/नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), सदस्य, विधान सभा जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड हस्वा के अन्तर्गत ग्राम करियामऊ में रामकरन के घर से ननबुद्ध के घर तक सी0सी0 रोड (लम्बाई लगभग 350 मी0) व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकिशोर उर्फ गुण्डा व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बाबाखेडा व कतिपय ग्रामों में विद्युत विभाग द्वारा छूटे हुए भाग तथा हरिजन बस्ती

का विद्युतीकरण एवं पावर हाउस का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मानस मोहन राणा व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका व्यपगत हुई।

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव के नगर पंचायत नवाबगंज में प्राइमरी विद्यालय का निर्माण/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभांग प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की उत्तर प्रदेश के कतिपय जनपदों में कृष्णा कान्स्टीलेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विभिन्न मार्गों पर किये गये कार्यों के भुगतान लोक निर्माण विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनमोल व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा में जगरनाथ के घर से शिव मन्दिर तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्यभान यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के परास से होकर जाने वाली सड़क ससुर खदेरी नदी क्रास करते हुए एन0एच0-19 तक 05 किमी0 रोड (पुल सहित) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद सैफ व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सुमेरपुर के ग्राम पंचायत पन्धरी से ग्राम पंचायत चन्दपुरवा तक उत्तर प्रदेश मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़क का जीर्णोद्धार का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत स्याऊ छाछरी मार्ग से शेखपुरा घन्सूरपुर तक सड़क की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौधरी पीतम प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री किरत सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत ग्राम दल्हेड़ी में साधू पुत्र बिरजू के घर से शमशान घाट वाले रास्ते पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर-257 के अन्तर्गत ग्राम जोगिया शेषपुर मजरा अलीपुर पक्की सड़क से बस्ती होते हुए शारदा सहायक नहर पक्की सड़क तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक अकोला के ग्राम बमनपुरा से सलेमाबाद मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजकिशोर चाहर व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विनोद चतुर्वेदी, मा0 सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत पनेहरा से बिरहरा तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका व्यपगत हुई।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा विधान सभा क्षेत्र चरखारी में विकास खण्ड जैतपुर के ग्राम टिकरिया से मध्य प्रदेश सीमा इमिलिया तक सड़क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर चन्द्र राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र-79 सादाबाद के विकास खण्ड सहपऊ के ग्राम-मढाका मंदिर से बंबा की पटरी तक कच्चा मार्ग का नव निर्माण/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फतेहपुर के अयाहशाह विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम चुरियानी, ब्लाक बहुआ फतेहपुर में प्रसिद्ध रूरेश्वर मन्दिर परिसर में रैनबसेरा का निर्माण, इण्टरलॉकिंग टाइल्स व सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री हरिओम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमाँपुर के अन्तर्गत ग्राम नगला किशन ग्राम पंचायत अर्जुनपुर नौआबाद में भूरे बघेल के घर से प्रा0 पा0 तक मार्ग पर सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोहन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद विकास खण्ड रसूलाबाद में कृषि कल्याण केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध

में श्री गौरव सिंह गौर व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राममूर्ति वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-278, टाण्डा के अन्तर्गत स्वर्गीय कमर हयात की जमीन से लेकर पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय हयात मोहम्मद की बाग तक लगभग 500 मी0 नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में हाजी इश्तिहाक अहमद व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र स्याना में ग्राम गजरोला में काली सड़क से मांडू ऋषि आश्रम तक काली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रत्नदीप लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम सैदपुर से साइफन पुलिस चौकी तक लम्बाई 01 किमी0 तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमवीर व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड मार्टिनगंज में स्थित ग्राम सभा करूई के राजभर बस्ती में जर्जर विद्युत तारों तथा 10-10 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर के स्थान पर 25-25 के0वी0ए0 दो ट्रांसफार्मर को लगवाए जाने के सम्बन्ध में श्री मंगेश राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र इटावा के इटावा नगर पालिका को बढ़ते हुए नगर क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप नगर निगम में परिवर्तित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सागर दुबे व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र-144, मोहम्मदी के ग्राम दिलावरपुर में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव में नगर पालिका परिषद् शुक्लागंज व कटरी क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ की विभीषिका से जनमानस को होने वाली हानि एवं परेशानी को रोकने के लिए गंगा नदी के बाएं तट पर शुक्लागंज पुराने पुल से

जाजमऊ से जाजमऊ पुल तक मार्जिनल बांध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के नगर पंचायत काकोरी, हौदा तालाब के पास में सामुदायिक केन्द्र के पीछे क्षतिग्रस्त नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 अमान खान व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर के अन्तर्गत सरयू नदी के दोनों छोरों पर बांध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

आज दिनांक 19 फरवरी, 2025 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 74 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
	निम्नलिखित सूचनाएँ वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-	
1	डॉ0 ओ0 पी0 श्रीवास्तव	लखनऊ पूर्वी विधान सभा क्षेत्र में अनेक सार्वजनिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में,
2	श्री बाबूलाल	जनपद आगरा के कतिपय ग्राम पंचायतों में अन्त्येष्टि स्थल के चयन प्रक्रिया में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में,
3	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार रायबरेली में लोक निर्माण विभाग खण्ड-1 द्वारा मानक विरुद्ध हुये घटिया निर्माण की टी0ए0सी0 से जाँच/कान्ट्रेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में दिये गये पूर्व पत्र पर कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में,
4	श्री अभय सिंह	अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कॉलेज पं0 जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कॉलेज खजुरहट, अयोध्या में तथाकथित तदर्थ प्रवक्ता के अनियमित व अधिकारिता विहीन नियुक्ति एवं राजकोष से अनियमित वेतन भुगतान की रिकवरी के सम्बन्ध में,

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
5	श्री राकेश प्रताप सिंह	जनपद अमेठी के वि0खं0 जामों के ग्राम सूखी बाजगढ़ में मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010 से 2023-24 तक कराये गये विकास कार्यों की जांच में विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
6	श्री कमाल अख्तर	विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम हसनगढ़ी, ब्लॉक छजलैट आजादी के 76 साल बाद भी सड़क से न जुड़ने के सम्बन्ध में तथा
7	श्री पंकज गुप्ता	लखनऊ-कानपुर राज्य मार्ग को जोड़ने वाला शुक्लागंज-गंगाघाट में गंगा नदी पर टूटे पुल का नया निर्माण कराने तथा नया पुल बनने तक पीपे के पुल की वैकल्पिक व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएँ केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	श्री अमिताभ बाजपेई	कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण की अरबों की जमीन भू-माफिया से कब्जा मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
2	श्री राम अचल राजभर	जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर-बसखारी राजमार्ग से सम्मनपुर सिकन्दरपुर एवं भाऊपुर जाने वाले मार्ग पर देशी शराब की दुकानों को हटाये जाने के सम्बन्ध में तथा
3	श्री देवेन्द्र कुमार निम	विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन (जनपद सहारनपुर) के ब्लॉक बलियाखेड़ी, हिण्डन नदी पर निर्माणाधीन सेतु के गुणवत्ता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएँ ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	श्री जियाउद्दीन रिजवी	जनपद बलिया के थाना सिकन्दरपुर के ग्राम खरीद में दिनांक 15-02-2025 को हुई घटना तथा ग्राम बहेरी में दिनांक 09-02-2025 को हुई घटना का अनावरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
2	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	विधान सभा क्षेत्र सदर जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत कतिपय जर्जर सड़कों को मिक्स्ड प्लान्ट से कराये जाने के सम्बन्ध में,
3	ई0 सचिन यादव उर्फ जखई	प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर विद्यालयों में सरकार द्वारा किसी भी मद में धनावंटित न होने के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में तथा
4	श्री राम चन्द्र यादव	विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत गोमती नदी के अमौनी घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन रात्रि 08 बजकर 06 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

स्वीकृत,
सतीश महाना,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 276 विधान सभा (443)-21-02-2025-50 प्रतियां (कम्प्यूटर)।